न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
170/ रा0प0 / 2024	05.11.2024	हरबिन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

गिरधर गोपाल आत्मज श्री हरिमोहन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बून्दी तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थी

—बनाम—

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र—इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा—136 राज0 भू—राजस्व अधि0, 1956

निर्णय

दिनांक—21.11.2024

उपस्थित— प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम छत्रपुरा में खसरा संख्या 2865/727 रकबा 0.0077 है0, खसरा संख्या 2868/729 रकबा 0.2999 है0, खसरा संख्या 2869/732 रकबा 0.0231 है0, खसरा संख्या 2876/1857 रकबा 0.0538 है0, खसरा संख्या 2878/1859 रकबा 0.1769 है0, खसरा संख्या 2880/1860 रकबा 0.1923 है0, खसरा संख्या 2882/2861 रकबा 0.0308 है0, खसरा संख्या 2886/1864 रकबा 0.0385 है0 कुल किता 9 रकबा 0.8538 है0 आराजी प्रार्थी गिरधर गोपाल शर्मा आत्मज श्री हरिमोहन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बून्दी के खातेदारी में दर्ज हैं। ग्राम छत्रपुरा के खसरा संख्या 731 रकबा 0.0235 है0 भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज रेकार्ड हैं। सेग्रीगेशन एवं मेप डिजिटाईजेशन के दौरान वन टू वन मेपिंग करते समय खसरा संख्या 2869/732 रकबा 0.0231 है0 भूमि का नक्शा परिशिष्ट सी में दर्शाये गये स्थान पर तरमीम कर दिया गया हैं, जबकि प्रार्थी की भूमि एक ही स्थान पर हैं। पूर्व में पटवारी हल्का छत्रपुरा द्वारा दिनांक 21.08.2015 को जारी नकल परिशिष्ट डी के अनुसार भी भूमि नक्शें में लाल स्याही से दर्शाई गई हैं। वर्तमान जमाबंदी ग्राम छत्रपुरा खसरा संख्या 2869/732 रकबा 0.0231 है0 की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस तथा खसरा नंबर 731/0.0231 है0 भूमि की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पटवार हल्का छत्रपुरा द्वारा दिनांक 21.08.2015 के पत्र क्रमांक राम/डी0आई0एल0आर0एम0पी0/प.126/2021/3885 (3886—3785) दिनांक 06.10.2021 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि पटवारी हल्का छत्रपुरा के लगा नक्शा अनुसार ग्राम छत्रपुरा के खसरा संख्या 2869/732 की तरमीम खसरा संख्या 731 के स्थान पर तथा खसरा संख्या 731 की तरमीम खसरा संख्या 2869/732 के स्थान पर किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तहसीलदार, बून्दी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बून्दी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 4420 दिनांक 08.10.2024 से अवगत कराया कि ग्राम छत्रपुरा के खसरा नंबर 731 रकबा 0.0231 है0

मूल नंबर सिवायचक दर्ज हैं। जो नक्शा लठ्ठा में खसरा नंबर 732 खातेदारी के खसरे के अन्दर अंकित था। वर्तमान ऑनलाईन नक्शें में खसरा नंबर 731 का अलग खसरा बनाकर खसरा नंबर 732 के टुकडे खसरा नंबर 2869/732 व 2868/732 दर्ज किये गये हैं। जिसको प्रस्तावित नजरी नक्शा में वर्तमान खसरा नंबर 731 खसरा नंबर 732 के टुकडें 2869/732 के अन्दर आना चाहिए। नजरी नक्शा इंगित किया हुआ हैं। अतः खसरा नंबर 731 को नक्शें में शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

उक्तानुसार पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी व प्रस्तुत नक्शा लठ्ठा ग्राम छत्रपुरा के नक्शें में मूल खसरा संख्या 731, 732 थे, जिनमे खसरा संख्या 731 रकवा 0.0231 अभी भी मूल नंबर हैं जो लठ्ठे अनुसार मूल खसरा नंबर 732 रकबा 0.0923 है0 के मध्य स्थित हैं। खसरा नंबर 732 के वर्तमान में दो टूकडे हैं, जिनके खसरा नंबर 2868/732, 2869/732 बने हैं। संलग्न लठ्ठा नक्शा ट्रेस के अवलोकन से जाहिर आया हैं कि खसरा संख्या 731 मूल खसरा संख्या 732 के मध्य में स्थित था किन्तु वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में खसरा संख्या 731 की तरमीम खसरा संख्या 732 की भूमि के मध्य में न होकर उत्तरी छोर के भाग में अंकित हो गई हैं और खसरा संख्या 732 की तरमीम दक्षिणी छोर की तरफ हो रही हैं। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि प्रकरण में ऑनलाईन तरमीम नक्शा लठ्ठा के अनुसार नहीं होकर सहवन व त्रूटिवश गलत हो गई हैं। जिसे धारा 131 व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अन्तर्गत शुद्ध किया जा सकता हैं। उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, बून्दी को आदेशित किया जाता हैं कि वह आराजी खसरा संख्या 731 रकबा 0.0231 है0 किस्म गै0मु0 वावड़ी ग्राम छत्रपुरा की तरमीम पूर्व रेकार्ड के अनुसार रकबा बरारी रखते हुए वर्तमान रेकार्ड में पूर्व की भांति नक्शा लठ्ठा के अनुसार यथावत् किया जाना सुनिश्चित करें। पालनार्थ तहसीलदार, बून्दी को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी